न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

प्रकरण संख्या 15/60/2021 रज. दिनांक 12/4/2021

1. सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना रामगढ , जिला अलवर।

प्रार्थी

वनाम

1. सहरून पुत्र बुद्वी खां जाति मेव उम्र 28 साल निवासी दोहा पुलिस थाना फिरोजपुर जिला नूंह मेवात हरियाणा।
2. कल्लु पुत्र ईसब खां जाति मेंव उम्र 58 साल निवासी खुशपुरी पुलिस थाना नौगावा जिला अलवर।
3. जाकर खां पुत्र परता खां जाति मेव उम्र 40 साल निवासी बुर्जा पुलिस थाना सीकरी जिला भरतपुर।
4. युसुफ खां पुत्र अहमद खां जाति मेव उम्र 38 साल निवासी खुशपुरी पुलिस थाना नौगावा जिला अलवर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5,8 राज0 ऊंट (वघ का प्रतिषेघ और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) विधेयक 2015 जप्तशुदा ऊंट के निस्तारण बाबत।

उपस्थितः–

01. थानाधिकारी थाना रामगढ के प्रतिनिधि

दिनांक 12.04.2021

::––निर्णय––::

थानाधिकारी पुलिस थाना रामगढ जिला अलवर द्वारा पत्रांक 1505 दिनांक 8.4.2021 एफ0आई0आर0 नम्बर 0185 दिनांक 5.4.2021 अन्तर्गत धारा 5,8 राज0 ऊंट (वघ का प्रतिषेघ और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) विधेयक 2015 में जब्त शुदा नग 17 छोटे–बडे ऊंट को अभिगृहीत ऊंट की अभिरक्षा और निपटारा में दिये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि :–

थानाधिकारी पुलिस थाना, रामगढ जिला अलवर ने अपने पत्रांक 1505
दिनांक 08–04–2021 द्वारा अवगत कराया है कि थाना हाजा पर दर्ज
एफ0आई0आर नम्बर 0185/2021 अन्तर्गत धारा 5,8 राज0 ऊंट (वघ का प्रतिषेघ
और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) विधेयक 2015 के अनुसार दिनांक
04.04.2021 को समय 10.58 पीएम पर मन स0उ0नि0 मय कानि0 भुवनेश कुमार
1438, कानि0 देवीराम 1658, मय जीप सरकारी चालक नाहरसिंह 1924 मय
असलाह के रात्रीकालीन गस्त करने हेतु रवाना कस्वा रामगढ व ईलाका थाना
हुआ, समय 2.30 एएम पर पुलिस कन्ट्रोल रूम अलवर से जरिये टेलीफोन सूचना
मिली की निमार्णाधीन दिल्ली–मुम्बई नेशनल हाईवे रोड पर कुछ तस्कर ऊटों को
तस्करी के लिय पैदल–पैदल राजस्थान से बहार हरियाणा ले जा रहे है जो इस
समय मौजा इंदपुर के आस पास है। इस सूचना पर मन स0उ0नि0 मय जाप्ता के
कस्बा रामगढ से रवाना होकर अलावडा पुलिस चौकी पहुचां इजार्च श्री राजेन्द्र
सिंह एचसी 659 को हमराह लोकर मौजा इंदपुर पुलिया निमार्णाधीन दिल्ली–मुम्बई
नेशनल हाईवे रोड पर 3.10 एएम पर पहुचा जहां गांव के काफी सारे लोग मौजूद
थे। पुलिया निमार्णाधीन के नीचे करीब 4 ऊंट तस्कर ऊटों को पैदल–पैदल हांक
कर के ला रहे थे।

हमराही जाप्ता की मदद से पकडे व नाम व पता पूछा तो सहरून पुत्र बुद्धी खा जाति मेव उम्र 28 साल निवासी दोहा पुलिस थाना फिरोजपुर जिला नूह मेवात हरियाणा। कल्लु पुत्र ईसब खां जाति मेव उम्र 58 साल निवासी खुशपुरी पुलिस थाना नौगावा जिला अलवर। जाकर खां पुत्र परता खां जाति मेव उम्र 40 साल निवासी बुर्जा पुलिस थाना सीकरी जिला भरतपुर। युसुफ खां पुत्र अहमद खां जाति मेव उम्र 38 साल निवासी खुशपुरी पुलिस थाना नौगावा जिला अलवर होना बताया जिनके कब्जे में कुल 17 ऊंट जिनमें से 13 ऊंटों के बच्चे/बौतिया व 4 बडे ऊंट को राजस्थान से हरियाणा तस्करी करके काटने के लिये लेकर जा रहे थे। इस बाबत किसी सक्षम अधिकारी की परमीशन/रवन्ना पूछा तो उन्होनें अपने पास कोई परमीशन व रवन्ना नहीं होना बताया जिनका यह अपराध धारा 5,8 राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिशेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 2015 का पाये जाने पर कार्यवाही हेतु उपस्थित लोगों में से स्वतन्त्र मौतबिर बनाने चाहे तो सभी लोग इधर–उधर चले गये। उक्त के विरूद्व अपराध धारा 5,8 राज0 ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) विधेयक 2015 का जुर्म प्रमाणित पाया जानें पर एफ0आई0आर0 नम्बर 0185 दिनांक 5.4.2021 के तहत दर्ज की गई, 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया जो न्यायिक अभिरक्षा में है। बरामद शुदा 17 ऊंट बच्चे जिनके रख रखाव व चारा पानी की व्यवस्था थाना पर नहीं है। अतः निवेदन है कि ऊंटों के निस्तारण आदेश फरमाया जावें। प्रकरण में शीध्र ही चालान न्यायालय में पेश किया जावेगा।

थानाधिकारी थाना रामगढ के प्रतिनिधि की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया व प्रार्थना पत्र सुपुर्दनामा विचार किया। राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन विधेयक, 2015 की धारा 7 (1) में स्पष्ट गया गया है कि "जब कभी तलाशी या अभिग्रहण के परिणामस्वरूप या निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा ऊंट की अभिरक्षा, मामले का अंतिम निपटारा होने तक, सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ऐसे पशुओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही किसी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक एजेन्सी को सौंपी जा सकेगी–परन्तु जहां किसी भी स्थानीय क्षेत्र में कोई भी ऐसी स्वैच्छिक एजेन्सी नही हो, वहां सक्षम प्राधिकारी ऊंटों की अभिरक्षा क्षेत्र के बाहर की किसी भी ऐसी एजेन्सी या किसी भी ऐसे अन्य उपयुक्त व्यक्ति को सौंप सकेगा जो ऐसे पशुओं को स्वेच्छा से रखना चाहें।"

उक्त से स्पष्ट है कि प्रकरण के अन्तिम निरस्तारण तक जप्तशुदा ऊंटों को प्रकरण से संबंधित व्यक्ति को दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अभिगृहीत ऊंट की अभिरक्षा और निपटारा स्वीकार किया जाता है तथा थानाधिकारी पुलिस थाना रामगढ जिला अलवर से प्राप्त पत्र के आधार पर राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन विधेयक, 2015 की धारा 7 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकरण में जप्तशुदा ऊंटों को ध्यान फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा प्राधिकृत बडोदिया गौशाला गावं बडोदिया थाना मनोहरपुर जिला जयपुर ग्रामीण की सुपुदर्गी में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही थानाधिकारी पुलिस थाना रामगढ जिला अलवर को निर्देश दिये जाते है कि यदि उक्त ऊंट अधिक मात्रा में हो तो उक्त ऊंट को अन्य किसी नजदीकी एजेन्सी को सुपुदर्गी में दिये जाकर इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना रामगढ जिला अलवर को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12–04–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,अलवर